राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

जयपुर

के समक्ष

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय :– विद्युत भवन, जनपथ

जयपुर–302005

द्वारा

वित्त. वर्ष. 2018–19 के लिए

दायर निवेश योजना के अनुमोदनार्थ

याचिका

नवम्बर, 2017

माननीय राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, जयपुर के समक्ष

दायरीकरण सं. .....

प्रकरण सं .....

वि.व. 2018–19 के लिए निवेश योजना के अनुमोदन हेतु याचिका का प्रस्तुतीकरण

अन्तर्गत विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36 वाँ) की धारा 181 (जेड. पी.) सहपठित राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (निवेश अनुमोदन) विनियम–2006

तथा

याचिकाकर्ता– जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर

(इसके बाद 'जयपुर डिस्कॉम' या 'याचिकाकर्ता' के रूप में निर्दिष्ट)

के विषय में,

जयपुर डिस्कॉम सादर प्रस्तुत करता है कि –

अ याचिकाकर्ता 'जयपुर डिस्कॉम' (इसके आगे 'याचिकाकर्ता' के रूप में निर्दिष्ट) राजस्थान सरकार (रास) द्वारा राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अन्तरण योजना 2000 के अन्तर्गत यथाधिसूचित क्षेत्रों में विद्युत के परिवहन तथा फुटकर आपूर्ति के लिए एक वितरण अनुज्ञप्तिधारी 'जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ (जविविनिलि) के रूप में नियुक्त है। तत्कालीन राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल से अलवर, दौसा, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, झालावाड, बूंदी, बारां जिलों की पंचायत समितियां अविविनिलि के अनुज्ञप्ति क्षेत्र के रूप में हैं।

ब याचिकाकर्ता विव 2018–19 के लिए निवेश योजना के अनुमोदन हेतु याचिका विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36 वाँ) की धारा 181 (जेड. पी.) सहपठित राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (निवेश अनुमोदन) विनियम, 2006 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर रहा है।

स तद्नुसार, याचिकाकर्ता 'जयपुर डिस्कॉम' एतद्द्वारा विव 2018–19 के लिए निवेश योजना के अनुमोदन हेतु याचिका दायर कर रहा है।

द याचिकाकर्ता **माननीय आयोग से प्रार्थना** करता है –

अ. राविविआ (निवेश अनुमोदन) विनियम, 2006 के साथ पढ़ी जाने वाली विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये विव 2018–19 की निवेश योजना के चाहे गये अनुमोदन की याचिका को स्वीकार करने के लिए।

ब. प्रकरण की परिस्थितियों के अधीन तथा न्याय हित में, कोई भी अन्य आदेश, जो माननीय आयोग उचित व उपयुक्त समझता है, पारित करने के लिए।

स. किसी भी त्रुटि/भूल, विलम्ब को माफ करने तथा उसे ठीक करने का अवसर प्रदान करने के लिए।

द. समय– समय पर आवश्यक होने की दशा में इस याचिका में अग्रेतर प्रस्तुतीकरण, परिवर्धन तथा आशोधन करने के लिए याचिकाकर्ता को अनुमत करने के लिए।

दिनांक :–

स्थान – जयपुर

अभिसाक्षी
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

टिप्पणियां :

इस याचिका में

- जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो सभी मौद्रिक आंकड़े करोड़ रू. में, तथा ऊर्जा आंकड़े मिलियन यूनिट (मि.यू.) में हैं।
- प्रस्तुतीकरण के प्रयोजन से सारणी में दिये गये आंकड़े पूर्णांकित दर्शाये गये हैं। तथापि, परिकलन के प्रयोजन से, वास्तविक आंकड़े ही ध्यान में रखे गये हैं।

संक्षेपणों की सूची

जयपुर डिस्कॉम, जविविनिलि	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
केविविआ	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
डिस्कॉम	वितरण कम्पनी
विअ 2003	विद्युत अधिनियम, 2003
विव	वित्तीय वर्ष
विव 17	वित्तीय वर्ष 2016–17
विव 18	वित्तीय वर्ष 2017–18
विव 19	वित्तीय वर्ष 2018–19
रास	राजस्थान सरकार
भास	भारत सरकार
जविविनिलि / जयपुर डिस्काम / लाईसेन्सी / युटिलिटी	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़
किवोए	किलो वोल्ट एम्पीयर
किवा	किलोवाट
किवाध	किलोवॉट घण्टा या इकाई
एमवीए	मेगा वोल्ट एम्पीयर
कि.मी.	किलोमीटर
विनियम	राविविआ (निवेश अनुमोदन, विनियम), 2006
पुत्वविवि एवं सुका	पुनसंरचित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम
राविविआ	राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग
रागांग्रावियो	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना
ग्राविनि	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम

रू.	भारतीय रूपया
राराविम / बोर्ड	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल
अनुज्ञप्तिधारी / यूटीलिटी	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
पीएफसी	पॉवर फाईनेन्स कॉरपोरेशन
दीदउग्रज्योयो	दीन दयाल उपाध्याय ग्रम ज्योति योजना
फीसयो	फीडर सशक्तिकरण योजना
उचौसयो	उप चौकि सशक्तिकरण योजना
मुमसलिवियो	मुख्य मंत्री सबके लिये विधुत योजना
एम. वी. ए.	मेगा वोल्ट ऐम्पीयर
एस. आई. पी.	सब स्टेशन सशक्तिकरण योजना
आई. पी. डी. एस.	एकीकृत ऊर्जा विकास योजना

विषय वस्तु

अ 1:	प्रस्तावना	8
अ 2:	प्रास्तावित वार्षिक योजना (2018–19)	9
अ 3:	माननीय आयोग से प्रार्थना	17

अनुलग्नकः– विनिर्धारित प्रपत्र– 1 से 5

सारणियों की सूची

सारणी–1 वि•व• 2018–19 के लिए प्रस्तावित योजना	9
सारणी–2 वि•व• 2018–19 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य	9
सारणी–3 वि•व• 2018–19 के लिए वित्त के प्रस्तावित स्त्रोत	10
सारणी–4 वि•व• 2018–19 हेतु उप–पारेषण व वितरण कार्यो के भौतिक लक्ष्य	11

अ 1: प्रस्तावना

1.1 राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (दर निर्धारण हेतु नियम एवं शर्ते) विनियम–2004 के अनुसार विद्युत अधिनियम 2003, की धारा 181 (जेड.पी.) के तहत राज्य विद्युत विनियामक आयोग (तदानुसार राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग), अनुग्यप्तिधारी द्वारा पूंजी/अतिरिक्त पूजी विनियोजन हेतु नियमों एवं शर्तो का निर्धारण करने हेतु अधिकृत है। उक्त अधिनियम के प्रावधानानुसार राज्य के अनुग्यप्तिधारी हेतु विनियमों का निर्धारण करते समय केन्द्रिय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित विनियमों से, राज्य विनियामक आयोग, मार्ग निर्देशित रहेगें।

1.2 केन्द्रिय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी संशोधित विनियमानुसार राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने राविविआ (दर निर्धारण हेतु नियम एवं शर्ते) विनियम 2004 के तहत राविविआ (निवेश अनुमोदन) विनियम–2006 जारी किये है।

1.3 वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु प्रस्तावों के आधार व पूर्वानुमान निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

- योजनानुसार प्रस्तावित पूंजीगत व्यय प्रावधान
- उप–पारेषण एवं वितरण विस्तार हेतु प्रावधान
- ग्रामीण विद्युतिकरण योजना सम्पादन हेतु प्रावधान
- नवीन योजनाओं की लागत एवं वित्त स्त्रोत

1.4 प्रस्तावित इनवेस्टमेंट प्लान के तहत वार्षिक प्लान वषग 2018–19 के लिये प्लानिंग विभाग राजस्थान सरकार ने राशि रू. 1673.08 करोड स्वीकृत की है।

अ 2: जयपुर डिस्काम द्वारा वर्ष 2018–19 हेतु प्रस्तावित वार्षिक योजनाः–

प्रस्तावित योजना (वि.व 2018–19)

2.1 जयपुर डिस्काम द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु वार्षिक विनिवेश योजना 1500.00 करोड रूपये हेतु प्रस्तावित है जिसके लिये 1673.08 करोड रूपये पूंजीगत व्यय हेतु वित्तीय मार्गोपाय किये गये हैं।

प्रस्तावित योजना का प्रारूप निम्न सारणी में उल्लेख किया गया हैः–

सारणीः1 विव 2018–19 हेतु प्रस्तावित योजना विवरण

क्र. सं.	विवरण	राशि (करोड रू.)
		प्रस्तावित 2018–19
1	उप–पारेषण एवं वितरण	301.70
2	ग्रामीण विद्युतिकरण कार्य	337.43
3	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (दीदउग्राज्योयो), (12 वां प्लान)	34.83
4	आर.ए.पी.डी.आर.पी–अ	19.00
5	आर–ए.पी.डी.आर.पी–ब	32.36
6	फीडर सशक्तिकरण योजना/ हानि कमी योजना	44.70
7	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	612.52
8	एकीकृत ऊर्जा विकास योजना (आईपीडीएस)	290.54
	योग	**1673.08**

2.2 वर्ष 2018–19 हेतु प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य निम्न सारणी मे उल्लेखित हैः–

सारणीः2 विव 2018–19 हेतु भौतिक लक्ष्य

क्रं.सं.	विवरण	ईकाई	लक्ष्य
1	**उप–पारेषण व वितरण कार्य**		
अ	33 केवी लाइन	कि.मी	295
ब	33 केवी उप चौकियॉ	संख्या	35
		एम.वी.ए क्षमता	239.35
2	**ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य**		
अ	कृषि पम्प विद्युतीकरण	संख्या	14,544
ब	ग्रामीण क्षेत्रीय घरेलू विद्युत संबंध जारी करना	संख्या	1,60,000
3	**दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, (12 वां प्लान)**		
	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापना कर्त्ताओं को घरेलू विद्युत संबंध जारी करना	संख्या	14,876
4	फीडर सशक्तिकरण योजना/हानि कमी योजना	संख्या	–

वित स्त्रोत (विव 2018–19)

2.3 वर्ष 2017–18 के पूंजीगत कार्यो हेतु विनियोजन योजना के वित मार्गोपायों का विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत हैः–

सारणीः3 विव 2018–19 के लिए वित्त के प्रस्तावित स्त्रोत

क्र. सं.	विवरण	राशि (करोड रू.) 2017–18
1	**निजि बजट स्त्रोत**	
	आरईसी (सामान्य आर.ई. कार्य नये कनेक्शन सहित)	220.95
	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (12वां प्लान) लोन	3.48
	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (12वां प्लान) ग्रांट	31.35
	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (लोन)	183.76
	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (ग्रांट)	367.51
	आर–एपीडीआरपी–**ए** (ग्रांट)	19.00
	आर–एपीडीआरपी–**बी** (लोन)	11.33
	आर–एपीडीआरपी–**बी** (ग्रांट)	16.18
	आईपीडीएस (लोन)	87.16
	आईपीडीएस (ग्रांट)	174.32
	पी.एफ.सी / वाणिज्य बैक / एनसीआरपीबी	211.19
	योग (1)	**1326.23**
2	**शासकीय बजट स्त्रोत**	
अ	राज्य सरकार की अंश पूंजी	346.85
	योग (2)	**346.85**
	योग (1 व 2)	**1673.08**

वित्त वर्ष 2018–19 हेतु शीर्षानुसार विस्तृत योजना उल्लेख –

शीर्ष–अः– उप पारेषण एवं वितरण कार्य

2.4 विद्युत उर्जा तंत्र के सुदृढिकरण हेतु 12वीं पंचवर्षीय योजना काल में विभिन्न कार्य किये गये हैं। अधिक गुणवत्तापूर्व एवं निबार्ध विद्युत वितरण सेवा लक्ष्य हेतु वर्तमान तंत्र में समय व मांग के अनुरूप, सतत सुदृढिकरण की आवश्यकतानुरूप कार्य प्रस्तावित है। जयपुर डिस्काम क्षेत्र में वितरण छीजत कम करने, नवीन व गहन विद्युतीकरण विस्तार हेतु भी यह योजना प्रस्तावित है।

2.5 वर्ष 2018–19 में विद्युत उप पारेषण एवं वितरण तंत्र के विस्तार व सुदृढिकरण हेतु 300 करोड रू. पूंजीगत व्यय का प्रावधान रखा गया है। जिससे 33 केवी उप चौकियों, लाइनों, इन्टर कनेक्टेड–11 केवी लाइनों व अन्य संबधित कार्य निष्पादित किये जा सकेंगें। तथा न्युट्रल तार खीचने, लम्बे स्पान के मध्य में पोल लगाने सम्बन्धित योजना में विधुत सम्बन्ध जारी करने के कार्य किये जायेगें।

उप–पारेषण एवं वितरण तंत्र को सुदृढ करने, छीजत को कम करने, विधुत आपूर्ति की विश्वसनीयता एवं गुणवता हेतु भी सम्बन्धित कार्य किये जाने प्रास्तावित है।

2.6 उप पारेषण एवं वितरण तंत्र के प्रमुख प्रस्तावित योजना कार्यो का विवरण निम्न तालिका में उल्लेखित हैः–

सारणी–4 वर्ष 2018–19 हेतु उप–पारेषण व वितरण कार्यो के भौतिक लक्ष्य

विवरण	युनिट	राशि (करोड रू.)
		प्रस्तावित 2017–18
33/11 केवी उप चौकी	एम.वी.ए	239.35
33/11 केवी उप चौकी	संख्या	35
33 केवी लाइने	कि.मी.	295

2.7 विगत एवं चालू वित्त वर्षो के भौतिक एवं वित्तिय लक्ष्यों की प्रगति का विवरण, माननीय आयोग द्वारा विनिर्धारित प्रपत्र 2 व 4 में प्रस्तुत है।

योजना चिन्हीकरण स्वीकृति एवं कार्यानवयन की प्रक्रियाः–

2.8 योजनाओं को आवश्यकता बोध के आधार पर, विद्युत तंत्र की विश्वसनीयता बढाने, सुदृढ करने तथा मांग संवृद्धि को पूरा करने आदि के लिये अभिज्ञात किया जाता है। वृतीय अधीक्षण अभियन्ता, उचित परिक्षण के साथ विस्तृत तकनीकि और लागत–लाभ साध्यता विश्लेषण पश्चात् प्रस्ताव मुख्यालय को अग्रेषित करते हैं। निगम मुख्यालय का आयोजना विभाग प्राप्त प्रस्तावों की पुनः जांच व समीक्षा कर प्राथमिकता तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप योजनाओं की चयन स्वीकृति जारी करता है। प्रत्येक एकल उपपारेषण व वितरण स्कीम लागत, दस करोड रू. से कम है तथा क्रियान्वयन से पूर्व निगम में स्वीकृत डेलीगेसन आफ पावर्स के अनुरूप, आवश्यक प्रशासनिक, तकनीकि व वित्तिय स्वीकृतियॉ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की जाती है।

शीर्ष–ब– ग्रामीण विद्युतिकरण कार्य मय नये विद्युत संबंध जारी करना–

2.9 ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतिकरण, नये विद्युत संबंध जारी करने, वितरण तंत्र का सुदृढिकरण और वितरण हानियों को कम करने के उद्देश्य हेतु योजना प्रस्तावित है।

2.10 विव वर्ष 2018–19 में इस योजना हेतु 337.43 करोड रू. के विनियोजन का प्रावधान रखा गया है।

2.11 इस योजनान्तर्गत लगभग 14,544 कृषि कुओं का विद्युतीकरण करने के लक्ष्य का प्रस्ताव है। इससे विषयान्तर्गत प्रतिक्षा सूचि कम करने में भी सहायता प्राप्त होगी तथा ग्रामीण क्षेत्रीय घरेलू विद्युत संबंध जारी करने हेतु का प्रावधान है।

2.12 ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्य निष्पादन पश्चात् निम्न लाभ प्रायोज्य हैः–

- ग्रामीण क्षेत्रो में वितरण तंत्र का विस्तार व सुढ़ढिकरण
- वितरण हॉनियों में कमी व प्रचालन में सुधार
- ग्रामीण आबादी को घरेलू विद्युत संबंधो की सुलभता
- सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ती हेतु कुओं का सुलभ विद्युतीकरण आदि।

2.13 विगत एवं चालू वित्त वर्षो के भौतिक एवं वित्तिय लक्ष्यों की प्रगति का विवरण, माननीय आयोग द्वारा विनिर्धारित प्रपत्र 2 व 4 में प्रस्तुत है।

शीर्ष–स दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (दीदउग्राज्योयो), (12वां प्लान):

2.14 इस योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो के निष्पादन हेतु एक मुश्त राशि 34.83 करोड रू. का प्रावधान रखा गया है।

2.15 बारहवीं पंचवर्षीय योजना में इस स्कीम का दायरा बढाते हुये 100 से अधिक आबादी वाले गांव– ढाणियों को भी सम्मलित कर, उनको विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। चिन्हित गावों, मजरों में विधुत तंत्र स्थापित करने व घरेलु विधुत सम्बन्ध (बी.पी.एल एवं ए.पी.एल.) जारी करने का कार्य सम्मिलित है।

2.16 योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालो को निशुल्क घरेलू विद्युत संबंध जारी किया जाना है।

2.17 गांवों को विद्युतिकृत करने से ग्रामीण क्षेत्रों में कुटिर व खादी ग्रामोद्योग को बढावा, आधुनिक शिक्षा, चिकित्सा व सूचना प्राद्योगिकि का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के विकास में अग्रणिभूमिका निभा रहा है, यह सर्व विदित है।

2.18 इस स्कीम के क्रियान्वयन पश्चात प्राप्त होने वाले लाभ निम्न प्रकार हैः–

- गॉव, ढाणियों व मजरों का गहन विद्युतीकरण होगा,
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर्त्ताओं को निशुल्क घरेलू विद्युत संबंध उपलब्ध होगें।

अनुमानित लागत

2.19 वर्ष 2018–19 हेतु 34.83 करोड रू. का एक मुश्त प्रावधान रखा गया है जिसकी आपूर्ती दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (दीदउग्राज्योयो), (12वां प्लान) के प्रावधानानुसार ग्रमीण विद्युतिकरण निगम के माध्यम से की जायेगी।

2.20 विगत एवं चालू वित्त वर्षो के भौतिक एवं वित्तिय लक्ष्यों की प्रगति का विवरण, माननीय आयोग द्वारा विनिर्धारित प्रपत्र 2 व 4 में प्रस्तुत है।

शीर्ष–द– पुनः संरचित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम

प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण–

2.21 इस योजना के अन्तर्गत आईटी सक्षम गतिविधियां विकसित करने, जैसे स्केडा इत्यादि एवं वर्तमान स्थापित तंत्र को सुदृड करने का कार्य किया जावेगा। चरणों के अनुसार आएपीडीआरपी के भाग अ के अन्तर्गत आईटी सक्षम गतिविधियों की योजना एमओपी भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। इस योजना का कार्य प्रारम्भ हो चुका है एवं आरएआरपीडी भाग अ के अन्तर्गत योजना का कार्य शीध पूरा कर लिया जायेगा।

2.22 आर.ए.पी.डी.आर.पी. स्कीम का भाग–अ पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है।
(अ) 30000 से अधिक आबादी क्षेत्रों में सूचना तकनिकि तंत्र स्थापित करना,
(ब) चार लाख से अधिक आबादी और 350 मेगा यूनिट विद्युत उर्जा लेने वाले निर्धारित व चयनित क्षेत्रों में स्काडा तकनिकि तंत्र स्थापित करना ।

2.23 **योजना निष्पादन पश्चात् प्राप्य लाभ**
(क) विद्यमान तंत्र का सुदृढिकरण व उर्जा छीजत में कमी,
(ब) आधारभूत आंकडो का त्वरित संग्रहण व विश्लेषण,
(ग) तंत्र स्वचालन में सहायता, तथा
(घ) सूचना प्राद्योगिकि की स्थापना ।

2.24 इस योजनान्तर्गत मुख्यतः डेटा–सेन्टर व डिजास्टर–सेन्टर्स की स्थापना, उन पर हार्डवेयर व साफ्टवेयर की स्थापना, डिस्काम मुख्यालय पर उपभोक्ता–सेवा–केन्द्र की स्थापना, मीटर्स के डेटा सग्रहण सिस्टम हेतु मोडम की स्थापना आदि कार्य है।

अनुमानित कार्य लागत

2.25 वर्ष 2017–18 हेतु स्कीम अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो पर 20.00 करोड रू. व्यय का एक मुश्त प्रावधान रखा गया है। जो कि पी.एफ.सी. के माध्यम से भारत सरकार आर–एपीडीआरपी /आईपीएफएस योजनानुसार से प्राप्त होगे।

2.26 विगत एवं चालू वित्त वर्षो के भौतिक एवं वित्तिय लक्ष्यों की प्रगति का विवरण, माननीय आयोग द्वारा विनिर्धारित प्रपत्र 2 व 4 में प्रस्तुत है।

आर.ए.आर.पी.डी.आर.पी–भाग–ब

प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण–

2.27 आधार लाइन सूचना संग्रहण की विश्वसनीयता तथा उप प्रसारण व वितरण तंत्र के सुदृढिकरण एवं उन्नयन के माध्यम से समग्र तकनिकि एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी पर केन्द्रित होने के साथ भारत सरकार की यह एक पहल है। यह योजना शहरी क्षेत्रों के 30000 से अधिक आबादी वाले शहरों को आवृत करती है।

2.28 प्रारम्भ में भारत सरकार द्वारा 25 प्रतिशत निधियॉ ऋण के रूप में तथा शेष विभिन्न वित्तिय संस्थानों से सृजित की जायेगी। समग्र तकनीकि एवं वाणिज्यिक हानियों में 15 प्रतिशत से नीचे कमी करने के मानदण्ड तथा स्तर पर बनाये रखने पर आधिरित, नगर की कुल परियोजना लागत के 10 प्रतिशत को, प्रतिवर्ष अनुदान में रूपान्तरित कर दिया जायेगा। किसी नगर की परियोजना लागत के अधिकतम 50 प्रतिशत को अनुदान में रूपान्तरित किया जा सकता है, बशर्ते कि उस नगर की हॉनियों को 5 वर्ष के लिये 15 प्रतिशत से नीचे बनाये रखा जाये। समग्र तकनिकि एवं वाणिज्य हॉनियों का एक टी.पी.आई ई.ए–आई.ए. मैसर्स वोयान्त सोल्यूसन प्रा.लि. गुडगॉव जिसे टी.पी.आई.ई.ए–ई.ए. के रूप में पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा नियुक्त किया गया है, द्वारा सत्यापन किया जायेगा। अजमेर डिस्काम के 30 नगरो की आधार लाइन हॉनियों का सत्यापन टी.पी.आई.ई.ए.ई.ए द्वारा किया जा चुका है।

2.29 वि.व. 2018–19 हेतु किये जाने वाले कार्यो पर 32.36 करोड रू. व्यय किया जाना प्रस्तावित है, जो कार्य प्रगति पर है, उन्हें शीध्र पूरा कर लिया जावेगा। विगत एवं चालू वित्त वर्षो के भौतिक एवं वित्तिय लक्ष्यों की प्रगति का विवरण, माननीय आयोग द्वारा विनिर्धारित प्रपत्र 2 व 4 में प्रस्तुत है।

शीर्ष–ई–फीडर सशक्तिकरण योजनाा

प्रस्तावों का संक्षिप्त विवरण

2.30 उक्त योजना क्रियानवयन हेतु वर्ष 2018–19 में रू. 80.00 करोड का विनियोजन प्रस्तावित है। तथा योजनान्तर्गत सम्मलित कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

1. ढीले तारों का सुदृढिकरण,
2. टेढे पोलो को सीधा कर सुदृढिकरण,
3. नियत भू मण्डलीय दूरी प्रतिस्थापन हेतु मध्य स्थान पोल स्थापित करना,
4. एकल फेज वितरण ट्रांसफारर्मर का पुर्न संवर्धन,
5. तीन फेज वितरण ट्रांसफारर्मर का पुर्न संवर्धन,
6. विकृत ए. बी. केबल्स का प्रतिस्थापन,
7. एक फेज वितरण ट्रांसफारर्मर क्षमता का आवश्यकतानुसार क्षमता विस्तार,
8. एक फेज वितरण ट्रांसफारर्मर का सुदृढ अर्थिग कार्य,
9. 33/11 केवी उप चौकी के समीप तीन फेस वितरण तंत्र की स्थापना,

10. ढीली ए. बी. केबल का सुदृढिकरण
11. खुले केबल स्थानों की मरम्मत व उन पर एम. सील लगाना,
12. विधुत प्रतिरोधक धारक युक्तिकरण उपकरणों की स्थापना,
13. दोषपूर्ण विधुत मीटर्स की प्रतिस्थापना,
14. ट्रांसफारर्मर की रीडिंग लेने हेतु उपयुक्त चबुतरों का निर्माण कार्य आदि।

2.31 विगत एवं चालू वित्त वर्षो के भौतिक एवं वित्तिय लक्ष्यों की प्रगति का विवरण, माननीय आयोग द्वारा विनिर्धारित प्रपत्र 2 व 4 में प्रस्तुत है।

शीर्ष–एफ – दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (दीदउग्राज्योयो)

प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण–

2.32 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 3 दिसम्बर, 2014 को मुख्यतः निम्न कार्यो हेतु स्वीकृत की गयी थीः–

(i) 3000 से अधिक आबादी वाले गांवों में 24 धंटे 3 फेस विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कृषि तथा अकृषि फीडर्स को पृथक पृथक करना।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में विधुत पारेषण एवं वितरण तंत्र को सुदृढ़ करना तथा वितरण फीडर्स, ट्रांसफारर्मस व उपभोक्ताओं हेतु सुदृढ़ मीटर व्यवस्था करना।

(iii) सी.सी.ई.ए. द्वारा दिनांक 01.08.2013 को स्वीकृत ग्रामीण विधुतिकरण हेतु पंचवर्षीय योजना 12वी में राजीव गांधी विधुतिकरण योजना के शेष कार्यो को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत पूर्ण करना।

2.33 मौजूदा रा.गा.ग्रा.वि.यो. को दी.द.उ.ग्रा.ज्यो.यो. में समाहित कर दिया गया है एवं रा. गा.ग्रा.वि.यो. की शेष बची राशि को भी दी.द.उ.ग्रा.ज्यो.यो. में शामिल कर दिया गया है। सभी वितरण कम्पनीयॉ उक्त वित्तिय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र है। उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण विकास निगम नोडल एजेन्सी का कार्य करेगी।

2.34 जयपुर निगम द्वारा वर्ष 2017–18 में रू. 612.52 करोड इस योजना के तहत व्यय का प्रावधान रखा गया है।

2.35 विगत एवं चालू वित्त वर्षो के भौतिक एवं वित्तिय लक्ष्यों की प्रगति का विवरण, माननीय आयोग द्वारा विनिर्धारित प्रपत्र 2 व 4 में प्रस्तुत है।

शीर्ष–जी–एकीकृत ऊर्जा विकास योजना (आईपीडीएस):

योजना के प्रस्तावों का संक्षिप्त विवरण

2.36 विधुत वितरण निगम /विधुत विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों में विधुत उप पारेषण एवं वितरण तंत्र के सुदृढिकरण, विस्तार एवं समुचित मीटरिंग में होने वाले पूंजीगत व्यय हेतु धनराशि की कमी कीपूर्ति हेतु, भारत सरकार द्वारा इस योजना का गठन किया गया है।

2.37 शहरी क्षेत्रों हेतु इस योजना के निम्न कार्य हैः–
अ. शहरी क्षेत्र के उप पारेषण एवं वितरण तंत्र पर नेट– मीटरिंग का सुदृढिकरण जिसमें सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा पेनल्स व नेट मीटरिंग की स्थापना।
ब. शहरी क्षेत्रों में फीडर्स, ट्रांसफारमर मीटरिंग तथा उपभोक्ता मीटरिंग के कार्य तथा
स. विधुत तंत्र के सुदृढीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी के कार्य हेतु सीसीईए द्वारा दिनांक 21.06.2013 को प्रदत अनुमति अनुसार 12वी पंचवर्षीय योजनान्तर्गत स्वीकृत पुर्न त्वरित ऊर्जा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो को इस योजना में समावेसित कर लिया गया है तथा उक्त कार्य, ऐसे वितरण क्षेत्रों में किया जाना प्रस्तावित है।

2.38 इस योजना के तहत, शहरी क्षेत्रों (विधिक शहरी क्षेत्रों सहित) के उप–पारेषण एवं वितरण तंत्र के सुदृढिकरण, नियोजित विस्तार, सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा पेनल्स, नेट मीटरिंग, फीडर्स, ट्रांसफारमर्स व उपभोक्ता परिसरों पर समुचित मीटरिंग तथा संचार प्राद्योगिकी के समुचित प्रयोग हेतु सम्बन्धित परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है। संचार प्रौद्योगिकी के कार्य का विस्तार वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 5000 से अधिक की आबादी वाले विधिक क्षेत्रों तक भी किया गया है।
प्रथम चरण में वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार, 15000 की आबादी क्षेत्रों में एवं तत्पश्चात 5000 से अधिक की आबदी के क्षेत्रों की परियोजनायें इस कार्यक्रम में निहित की जायेगी।

2.39 वर्ष 2018–19 में इस योजनान्तर्गत रू. 290.54 करोड का प्रावधान जयपुर निगम द्वारा प्रास्तावित है।

2.40 विगत एवं चालू वित्त वर्षो के भौतिक एवं वित्तिय लक्ष्यों की प्रगति का विवरण, माननीय आयोग द्वारा विनिर्धारित प्रपत्र 2 व 4 में प्रस्तुत है।

नोट:–मूल अंग्रेजी याचिका व इसके हिन्दी रूपान्तरण के अंको एवं भावार्थ में किसी भी स्तर पर विरोधभास होने पर मूल अंग्रेजी याचिका का भावार्थ ही अन्तिम निर्णायक समझा जावें।

याचिकाकर्ता माननीय आयोग से प्रार्थना करता है –

अ. राविविआ (निवेश अनुमोदन) विनियम, 2006 के साथ पढ़ी जाने वाली विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये विव 2018–19 की निवेश योजना के चाहे गये अनुमोदन की याचिका को स्वीकार करने के लिए।

ब. प्रकरण की परिस्थितियों के अधीन तथा न्याय हित में, कोई भी अन्य आदेश, जो माननीय आयोग उचित व उपयुक्त समझता है, पारित करने के लिए।

स. किसी भी त्रुटि/भूल, विलम्ब को माफ करने तथा उसे ठीक करने का अवसर प्रदान करने के लिए।

द. समय– समय पर आवश्यक होने की दशा में इस याचिका में अग्रेतर प्रस्तुतीकरण, परिवर्धन तथा आशोधन करने के लिए याचिकाकर्ता को अनुमत करने के लिए।